न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 108/2019

गोपीराम पुत्र खिराज जाति बिश्नोई साकिन 83 एलएनपी जोड़किया तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. अरविन्द } पिसरान ओमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन 83 एलएनपी
2. सुधीर } तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई	प्रार्थी
2. श्री हीरालाल बिरथलिया	अप्रार्थी संख्या 1 व 2
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19/12/2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र बिश्नोई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 36 एमओडी के खाता सं. 104/92 के प.नं. 42/258 (64) किला नं. 16/3, 16/4, 1712, 18/2, 23/3 की 0.605 है. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी मय नजरी नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थीगण सं. 1, 2 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 36 एमओडी के खाता सं. 14/208 के प.नं. 41/259 (73) किला नं. 13, 16, 17/1, 18, 23 ता 25, प.नं. 42/258 (64) किला नं. 16/1, 17/1, 23/2, 24, 25, प.नं. 42/259 (72) किला नं. 2/2, 3/2, 8/2, 9/2, 13, 18, 23/1 कुल तादादी 2.786 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी ब.हि.ब. दर्ज रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। अप्रार्थीगण सं.1, 2 के नाम वर्णित कृषि भूमि दफा 3 में दर्ज प.नं. 42/259 (72) किला 2/2/.013, 3/2/.007, 8/2/.007, 9/2/.013, 13/.013, 18/.013, 23/1/.013 4. रास्ता किला नं. 2, 9 के पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा, किला न. 13, 18, 23 के बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा, किला नं. 3 के ... दिशा में पूर्व पश्चिम लम्बा, किला नं. 8 के कॉनर्र में मौका पर चालू है। उक्त रास्ता वर्षो से ... रहा है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये कर रहा है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 36 एमओडी के प.नं. 42/259 (72) किला नं. 2/2/.013, 3/2/.007, 8/2/.007, 9/2/.013, 13/.013, 18/.013, 23/1/.013. किला नं. 2, 9 के पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा, किला नं. 13, 18, 23 के बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:13:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किला नं. 3 के उतर दिशा में पूर्व पश्चिम लम्बा, किला नं. 8 के कॉनर्र रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का हकदार है। रास्ता में आई भूमि की एवज में उतनी भूमि प्रार्थी नें अप्रार्थी सं.1, 2 को पूर्व में जरिये वसीयत दे दी है। वसीयत अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दिनांक 21.09.2015 को हो चुका है।

यह कि अप्रार्थी सं.3 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 36 एमओडी के प.नं. 421259 (72) इि. 2/2/.013, 3/2/.007, 8/2/.007, 9/2/.013, 13/.013, 18/.013, 23/1/.013 हैक.रास्ता किला नं. 2, 9 के पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा, किला नं. 13, 18, 23 के बजानिब पश्चिम दिशा में उतर दक्षिण लम्बा, किला नं. 3 के उतर दिशा में पूर्व पश्चिम लम्बा, किला नं. 8 के कॉनर्र रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये ।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिकवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रस्तुत किया गया है जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 की ओर से निम्न प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे पंजीकृत पता से संबंधित है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित रकबा अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी व मिन अप्रार्थी के भाई के नाम से चक 36 एमओडी के खाता सं. 14 के प.नं. 41/259 के किला नं. 13, 16/4, 17/6, 18, 23, 24/6, 25/8 की 1.3736 हैक., प.नं. 42/258 के किला नं. 16/1, 17, 23/2, 24, 25 की 0.646 हैक., प.नं. 42/259 के किला नं. 2/2, 3/2, 8/2, 9/2, 13, 18, 23/1 की 0.723 हैक. कुल तादादी 2.7426 हैक् नहरी म.गै.मु. खाला व इसी के साथ प्र.नं. 41/259 के किला नं. 16/3, 17/5, 24/5, 25/7 कुल 0.0274 हैक. वाणिज्यिक भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व अभिलेख है। चित्रप्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 असत्य, मनगढ़त व अविधिक होने से अस्वीकार है। प्रार्थी की कृषि भूमि को सबसे नजदीक एवं निकटतम एवं सरल रास्ता चक 36 एमओडी के प.नं. 42/258 के किला नं. 1 ता 5 मे स्वीकृत शुदा रास्ता से किला नं. 5, 6, 15 का लगता है। मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि मे से प्रार्थी द्वारा वर्णित चक 36 एमओडी के प. नं. 42/259 के किला नं. 2, 3, 8, 9, 13, 18, 23 जो कि टेडा मेडा रास्ता है मौका पर किसी किस्म से चालू नही है और ना ही उक्त रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है क्योंकि उक्त रास्ता रा.का.अधि. की धारा 251-क के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थी की कृषि भूमि को अप्रार्थी की कृषि भूमि से सरल एवं निकटतम रास्ता नही लगता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शुन्य एवं आधारहीन होने के कारण से भी काबिल खारिज योग्य है क्योंकि प्रार्थी की कृषि भूमि को सबसे निकट एवं सरल रास्ता चक 36 एमओडी के प.नं. 42/258 के किला नं. 1 ता 5 मे स्वीकृत शुदा रास्ता से महज 8 बीघा दूर पर स्थित है इसी कारण से भी प्रार्थी अप्रार्थी की कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी ने सबसे निकटम एवं सरल रास्ता वाले भूमि को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी से रंजिश रखता है इस कारण से प्रार्थी मिन अप्रार्थी की भूमि मे से कानून के विपरित होकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को रास्ता के बदले मे किसी भी प्रकार से भूमि जरिये वसीयत नही दी गई है। मात्र तथ्यों को रंगत देने के लिए झुठे एवं मनगढ़त कथन अंकित किये हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 कानूनी है। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:13:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रा.का. अधि. 251–क के प्रावधानों के विपरित होने तथा प्रार्थना पत्र शुन्य एवं आधारहीन होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की ओर से निम्न प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में पंजीकृत पता से संबंधित है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित रकबा अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी व मिन अप्रार्थी के भाई के नाम से चक 36 एमओडी के खाता सं. 14 के प.नं. 41/259 के किला नं. 16/4, 17/6, 18, 23, 24/6, 25/8 की 1.3736 हैक., प.नं. 42/258 के किला नं. 16/1, 17, 23/2, 24, 25 की 0.646 हैक., प.नं. 42/259 के किला नं. 2/2, 3/2, 8/2, 9/2, 13, 18, 23/1 की 0.723 हैक. कुल तादादी 2.7426 हैक् नहरी म.गै.मु. खाला व इसी के साथ प. नं. 41/259 के किला नं. 16/3, 17/5, 24/5, 25/7 कुल 0.0274 हैक. वाणिज्यिक भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व अभिलेख है। चित्रप्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 असत्य, मनगढ़त व अविधिक होने से अस्वीकार है। प्रार्थी की कृषि भूमि को सबसे नजदीक एवं निकटतम एवं सरल रास्ता चक 36 एमओडी के प.नं. 42/258 के किला नं. 1 ता 5 मे स्वीकृत शुदा रास्ता से किला नं. 5, 6, 15 का लगता है। मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि मे से प्रार्थी द्वारा वर्णित चक 36 एमओडी के प. नं. 42/259 के किला नं. 2, 3, 8, 9, 13, 18, 23 जो कि टेडा मेडा रास्ता है मौका पर किसी किस्म से चालू नही है और ना ही उक्त रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है क्योंकि उक्त रास्ता रा.का.अधि. की धारा 251–क के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थी की कृषि भूमि को अप्रार्थी की कृषि भूमि से सरल एवं निकटतम रास्ता नही लगता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शुन्य एवं आधारहीन होने के कारण से भी काबिल खारिज योग्य है क्योंकि प्रार्थी की कृषि भूमि को सबसे निकट एवं सरल रास्ता चक 36 एमओडी के प.नं. 42/258 के किला नं. 1 ता 5 मे स्वीकृत शुदा रास्ता से महज 3 बीघा दूरी पर लगता है इसी कारण से भी प्रार्थी अप्रार्थी की कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी ने सबसे निकटम एवं सरल रास्ता वाले भूमि को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी से रंजिश रखता है इस कारण से प्रार्थी मिन अप्रार्थी की भूमि मे से कानून के विपरित होकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को रास्ता के 9बदले मे किसी भी प्रकार से भूमि जरिये वसीयत नही दी गई है। मात्र तथ्यों को रंगत देने के लिए झुठे एवं मनगढ़त कथन अंकित किये हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 कानूनी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रा. का. अधि. 251–क के प्रावधानों के विपरित होने तथा प्रार्थना पत्र शुन्य एवं आधारहीन होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिकार्ड एवं मौका के संबंध में रिपोर्ट पत्रांक 1324 दिनांक 14.06.25 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार वर्तमान में वादी के द्वारा किये गये दावे एवं जमाबन्दी रिकॉर्ड अलग–अलग है। वादी के [illegible] खाते में कोई भूमि स्थित नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:13:04 IST
Reason: Self Attested

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व बाद पत्रावली अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के संबध में प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा स्वयम् द्वारा मौका निरिक्षण किया गया प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा गैर मु. रास्ता से प्रश्नगत रास्ता चाहा गया है उक्त गैर मु. रास्ता 400 केवी जीएसएस के अवाप्त होने के कारण प्रार्थी

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 19/12/24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:13:04 IST
Reason: SelfAttested